"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]　　रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017 — भाद्रपद 2, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक 7916 A/डी. 185/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14-08-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ङ) का लोप किया जाए;

(ख) खण्ड (ङ-ख) का लोप किया जाये;

(ग) खण्ड (ड) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए;

(घ) खण्ड (भ) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग-तीन" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए; और

(ङ) खण्ड (म) में, परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(क) उप-धारा (1) का लोप किया जाए; और

(ख) उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 8 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उप-धारा (1) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए; और

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग 3" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 9, 10, 11 एवं 12 का लोप.

5. मूल अधिनियम की धारा 9, 10, 11 एवं 12 का लोप किया जाए.

6. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :- धारा 13 का संशोधन.

"13. **आगत कर का रिबेट.**- ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों, जैसा कि विहित किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए, इस धारा में आगत कर के रिबेट का दावा निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई माल, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर के भुगतान करने के पश्चात् भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिये क्रय करता है; और

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई माल, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर के भुगतान करने के पश्चात् धारा 38 की उप-धारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय के लिये क्रय करता है."

7. मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द एवं अंक "या धारा 9" का लोप किया जाए. धारा 14 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 15 का लोप किया जाए. धारा 15 का लोप.

9. मूल अधिनियम की धारा 15-क में, जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" आया हो के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 15-क का संशोधन.

10. मूल अधिनियम् की धारा 18, 20, 27 एवं 28 का लोप किया जाए. धारा 18, 20, 27 एवं 28 का लोप.

11. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) में, शब्द एवं अंक "जो धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अपर आयुक्त को तथा धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील, अपीलीय उपायुक्त को कर सकेगा" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "जहां ऐसा आदेश धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, अपर आयुक्त को तथा जहां ऐसा आदेश धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, अपीलीय उपायुक्त को, कर सकेगा," प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 48 में संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 58 एवं 59 का लोप किया जाए. धारा 58 एवं 59 का लोप.

13. मूल अधिनियम की धारा 64 में, उप-धारा (1) में,- धारा 64 का संशोधन.

(क) खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक "धारा 11 या" का लोप किया जाए; और

(ख) खण्ड (ञ) में, उप-खण्ड (एक) एवं (दो) का लोप किया जाये.

14. मूल अधिनियम की धारा 65 का लोप किया जाए. धारा 65 का लोप.

15. मूल अधिनियम की धारा 71 में, उप-धारा (2) में,- धारा 71 का संशोधन.

(क) खण्ड (ङ) एवं (च) का लोप किया जाए;

(ख) खण्ड (ब) में, उप-खण्ड (चार) में, पैरा (क), (ख) एवं (ग) का लोप किया जाये; और

(ग) खण्ड (म) का लोप किया जाए.

धारा 72 का संशोधन. 16. मूल अधिनियम की धारा 72 में, परन्तुक में, खण्ड (एक) में, उप-खण्ड (ख) में, शब्द "सम्मिलित करते हुए" के स्थान पर, शब्द "छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाए.

अनुसूची-1, 2 एवं 3 का प्रतिस्थापन. 17. मूल अधिनियम की अनुसूची-1, 2 एवं 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :-.

"अनुसूची

[धारा 8 की उप-धारा (1) एवं (2) देखिए]

अनु. क्र. (1)	वस्तु का विवरण (2)	कर की दर (3)
1.	हाई स्पीड डीजल	25 प्रतिशत + 1 रुपया प्रति लीटर
2.	पेट्रोल	25 प्रतिशत + 2 रुपया प्रति लीटर
3.	पेट्रोलियम क्रुड	25 प्रतिशत
4.	प्राकृतिक गैस	25 प्रतिशत
5.	एविएशन टरबाईन फ्यूल	25 प्रतिशत
6.	एफ. एल. -10 अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा	8.5 प्रतिशत"

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक 7916 A/डी. 185/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-8-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 11 of 2017)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2017.

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2,-

(a) clause (e) shall be omitted;

(b) clause (e-b) shall be omitted;

(c) in clause (m), for the words and figures "Parts I, II and IV of the schedule II", the word "Schedule" shall be substituted;

(d) in clause (x), for the words and figures "Part III of schedule II", the word "Schedule" shall be substituted; and

(e) in clause (y), the proviso shall be omitted.

Amendment of Section 6.

3. In Section 6 of the Principal Act,-

(a) sub-section (1) shall be omitted; and

(b) in sub-section (2), in clause (a), for the word and figure "schedule II", the word "Schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 8.

4. In Section 8 of the Principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the word and figure "Schedule II", the word "Schedule" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the word and figures "Part III of the schedule II", the word "Schedule" shall be substituted.

Omission of Sections 9, 10, 11 and 12.

5. Section 9, 10, 11 and 12 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 13.

6. For Section 13 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"13. **Rebate of Input Tax**.- Subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed, a rebate of input tax in this Section shall be claimed by or be allowed to a Registered Dealer, in the following circumstances, namely :-

(a) when any Registered Dealer purchases any goods specified in the Schedule, from another such dealer within the State of Chhattisgarh,

after payment of input tax for sale in the course of export outside the territory of India; and

(b) when any Registered Dealer purchases any goods specified in the Schedule, from another such dealer within the State of Chhattisgarh, after payment of input tax for sale to a Registered Dealer in Special Economic Zone as per the provisions of clause (iv) of sub-section (1) of Section 38."

Amendment of Section 14. 7. In Section 14 of the Principal Act, the words and figure "or Section 9" shall be omitted.

Omission of Section 15. 8. Section 15 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 15-A. 9. In Section 15-A of the Principal Act, for the word and figure "Schedule II", wherever they occur, the word "Schedule" shall be substituted.

Omission of Section 18, 20, 27 and 28. 10. Sections 18, 20, 27 and 28 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 48. 11. In sub-section (1) of Section 48 of the Principal Act, for the words and figures "to the Additional Commissioner, where such order is passed by any officer specified in clause (c) of sub-section (1) of Section 3 and where such order is passed by an officer specified in clause (d), (e), (f) of sub-section (1) of Section 3 to the Appellate Deputy Commissioner", the words and figures "to the Additional Commissioner, where such order is passed by any officer specified in clause (c) and (d) of sub-section (1) of Section 3 and where such order is passed by an officer specified in clause (e) and (f) of sub-section (1) of Section 3 to the Appellate Deputy Commissioner" shall be substituted.

Omission of Section 58 and 59. 12. Section 58 and 59 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 64. 13. (1) In Section 64 of the Principal Act, in sub-section (1),-

(a) in clause (a), the words and figure "section 11 or" shall be omitted; and

(b) in clause (j), sub-clause (i) and (ii) shall be omitted.

Omission of Section 65. 14. Section 65 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 71. 15. In Section 71 of the Principal Act, in sub-section (2),-

(a) clause (e) and (f) shall be omitted;

(b) in clause (w), in sub-clause (iv), para (a), (b) and (c) shall be omitted; and

(c) clause (y) shall be omitted.

Amendment of Section 72. 16. In Section 72 of the Principal Act, in proviso, in clause (i), in sub-clause (b), for the word "including", the word "excluding" shall be substituted.

Substitution of Schedule I, II and III. 17. For Schedule I, II and III of the Principal Act, the following shall be substituted :-

"SCHEDULE

[See sub-section (1) and (2) of Section 8]

S. No. (1)	Description of Goods (2)	Rate of tax (3)
1.	High Speed Diesel	25 percent + 1 Rupee per litre

(1)	(2)	(3)
2.	Petrol	25 percent + 2 Rupees per litre
3.	Petroleum Crude	25 percent
4.	Natural Gas	25 percent
5.	Aviation Turbine Fuel	25 percent
6.	Foreign and Indian-made foreign liquor sold through Dealer holding F. L. - 10 license.	8.5 percent"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.